

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन-682009

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.nic.in E-mail: commr@cochincustoms.nic.in Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468 Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No. 30/2017

विषय: स्थाई व्यापार स्विधा समिति - दिनांक 26.07.2017 को आयोजित बैठक का

कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the

meeting held on 26.07.2017 - Reg.

स्थाई व्यापार सुविधा समिति की 138वीं बैठक दिनांक 26.07.2017 को 1630 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई।श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 138th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 16.30 hrs on 26.07.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

- 1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
- 2. Amreeta Titus, Dy.Commissioner
- 3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
- 4. V.A.Moideen Naina, Asst. Commissioner
- 5. M.S.Suresh, Asst.Commissioner
- 6. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
- 7. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
- 8. A.L.Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
- 9. Baiju Daniel, Appraiser
- 10 V.Usha Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

- 1 Raj Vinod, Cochin Port Trust.
- 2 Dr.Jesto George, FSSAI
- 3 V T Jadhav, Textile Committee
- 4 S.Vinod Immanuel, CFS MIV Logistics.
- 5. Manju Moorthy, CFS MIV Logistics.
- 6 M.B.Nandakumar, CCBA.
- 7 Josemon M.D. CFS KSIE.
- 8 A.A.Abdul Azeez, CCBA.
- 9 V. Veeraraghav, CFS GDKL.
- 10 Alex K Ninan, Sea Food Exporters Association of India.
- 11 K.Manojkumar, Consolidators Assn. of India.
- 12 P.M.Muraleedharan, Indian Chamber of Commerce.
- 13 S.Ramakrishnan, Sea Food Exporters Association of India
- 14 A.K.Vijayakumar, FIEO.
- 15 Deepak Shetty, Kerala Chamber of Commerce.
- 16 Varghese, CSAA
- 17 Jayaprakash CSAA
- 18 Prakash Iyer CSAA
- 19 K.Suresh Babu, CFS CPT

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points there on was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई Action on minutes of Last Meeting

बिंदु सं. 6 : फ्रोज़न कंटेनरों को खोलने के लिए आरएमएस चयन में कठिनाई (एसईएआई)

Point No.6. DIFFICULTY IN RMS SELECTION FOR OPENING FROZEN CONTAINERS (SEAI)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले में आरएमडी से जवाब का इंतज़ार है। The Chair informed that reply from RMD is still awaited.

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु / FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं. 1 : नौवहन बिल के पृष्ठांकन की प्रक्रिया को समाप्त करने का अनुरोध (सीएसएए एवं सीसीबीए)

Point No.1. Request to do away with the procedure of Endorsement of Shipping Bill (CSAA & CCBA)

सीएसएए के प्रतिनिधियों ने कंटेनरों के लोडिंग के बाद सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा नौवहन बिल के पृष्ठांकन की प्रक्रिया को समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने सूचित किया कि दूसरों बंदरगाहों में पृष्ठांकन की प्रक्रिया पहले ही समाप्त कर दी गई है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जहाज़ पर लोड किया गए कंटेनरों के संदर्भ में टर्मिनल द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार ई.जी.एम. फाइल किया जाता है। ऐसे में जहाज़ पर कंटेनरों को लोड करने संबंधी प्रमाण के रूप में पृष्ठांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

The CSAA representatives requested for doing away with the procedure of endorsing the shipping Bill by the Customs Officials, subsequent to the loading of the containers. They informed that in other ports, the endorsement procedure had already been discontinued. They added that EGM is filed based on the data provided by the Terminal i.r.o. the containers loaded in a vessel. As such there is no requirement of the endorsement in proof of the loading of the containers in the vessel.

सीसीबीए के प्रतिनिधियों ने भी यही मामला उठाया। उन्होंने सूचित किया कि जेएनसीएच में सार्वजनिक सूचना 36/2017 जारी करके इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

The representative of CCBA also raised the same issue. They informed that in JNCH, the procedure is discontinued with the issuance of Public Notice 36/2017.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नावा शेवा के लोजिस्टिक्स कोचिन से अलग है क्योंकि यह एक एसईजेड पोर्ट है। इसलिए इस पर कोई निर्णय लेने से पहले कंटेनरों की शिपमेंट न होने/कम शिपमेंट होने के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यक है।

The Chair stated that the logistics in Nhava Sheva is different from that of Cochin, as this is an SEZ port. Hence, this issue needs detailed study w.r.t short/non shipment of containers, before taking a decision.

(कार्रवाई Action: सहा.आयुक्त डोक्स AC Docks)

बिंदु सं. 2 : नौवहन बिलों की ट्रैन्शिपमेंट में प्रामाणित प्रतियों के लिए शुल्क को समाप्त करने हेतु अनुरोध (सीसीबीए)

Point No.2. Request for discontinuation of charges for Certified Copies in Transshipment copies of Shipping Bills (CCBA)

सीसीबीए के प्रतिनिधि ने कहा कि अन्य बंदरगाहों से प्राप्त नौवहन बिलों की ट्रैन्सफरेंस प्रतियों में रु. 200/- मूल्य का सी.आर. स्टैम्प नहीं लगा होता है, जो कि ट्रैन्शिपमेंट कारगो के नोवहन बिलों की प्रामाणित प्रतियों के लिए कोचिन सीमाशुल्क में अपेक्षित होता है। उन्होंने इसे समाप्त करने का अनुरोध किया।

The CCBA representative stated that the transference copies of Shipping Bills received from other ports does not bear the CR stamps worth Rs.200/- as required in Cochin Customs for the certified copies of Shipping Bills of Transshipment cargo. They requested to discontinue this.

अध्यक्ष महोदय ने स्चित किया कि "शुल्क की वस्ली (सीमाशुल्क दस्तावेज़) संशोधन विनियम, 2017 दिनांक 11.04.2017 के अनुसार प्रतियों को प्रमाणित करवाने के लिए शुल्क की वस्ली अनिवार्य है। तथापि, आईसीईजीएटीई में नौवहन बिलों के विवरण सत्यापन के लिए उपलब्ध हैं इसलिए प्रतियों को प्रमाणित किए बिना अग्रेषित किया जा सकता है।

The Chair informed that as per the "Levy of Fees (Customs Documents) Amendment regulations, 2017 dated 11.4.2017, the charges are mandatory for getting the copies certified. However, the Shipping Bill details are available in ICEGATE for verification so that the copies could be forwarded without getting certified.

बिंदु सं. 3: लाइट हाउस सुविधा का उपयोग न करने पर भी इसके प्रभारों का भुगतान (सीएसएए) Point No.3. Payment of Light House dues when the facility is not utilized (CSAA)

सीएसएए ने कहा कि वे भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले सभी जहाज़ों के लिए सरकार को एक महीने की वैधता के साथ लाइट हाउस प्रभारों का भुगतान करते हैं; जबिक बंदरगाहों के अंदर जहाज़ों को लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के कारण लाइट हाउस का कोई उपयोग नहीं है; उन्होंने सलाह लेनी चाही कि क्या लाइट हाउस प्रभारों के भुगतान को समाप्त किया जा सकता है?

The CSAA submitted that they are paying light house dues to Government for all the vessels calling in Indian Ports with a validity of one month; whereas there is no such usage due to latest technologies available in calling the vessels inside the ports. They request for advice to the effect whether the payment of light house dues can be avoided.

श्री एस. वी. प्रकाश ने सूचित किया कि यह मुद्दा दो वर्ष पहले भी उठाया गया था लेकिन नौवहन मंत्रालय ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया।

Shri S.V.Prakash informed that this issue was already taken up two years back but Shipping Ministry did not agree to the suggestion.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि हालांकि यह पूरी तरह से नौवहन मंत्रालय से जुड़ा मामला है, फिर भी वे इस संबंध में नौवहन महानिदेशालय से पुष्टि करेंगे और बताएंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

The Chair informed that though this is purely an issue of Ministry of Shipping, he would verify with DG Shipping and inform what could be done in this matter.

बिंदु सं. 4 : ऑनलाइन कंटेनर मूवमेंट के लिए आवेदन (सीएसएए) Point No 4. Request for online Container movement (CSAA)

सीएसएए प्राधिकारियों ने आईसीटीटी से कंटेनरों के ऑनलाइन मूवमेंट करने का अनुरोध किया ताकि लाइनों और सीएफएसों द्वारा कई सारे दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के साथ किए जाने वाले मौजूदा मूवमेंट से बचा जा सके।

The CSAA authorities requested for the facility of online movement of containers from ICTT in order to avoid movement carried out presently with so many documents and signatures by both Lines and CFSs.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि पिछली बैठक में ही इस मामले में सभी लाइनों और सीएफएस प्राधिकारियों की सहमति/प्रस्ताव बनाने के अनुदेश दिए गए थे, क्योंकि विभाग कोचिन में भी अन्य बंदरगाहों में उपलब्ध व्यापार सुविधाएं कार्यान्वित करने के लिए तैयार है, लेकिन यह कोचिन पोर्ट में उपलब्ध लॉजिस्टिकल स्थिति पर निर्भर करता है।

The Chair informed that in the last meeting itself it was instructed to come up with a consensus/proposal of all the Lines and CFS authorities in this matter, as the department is always ready to implement the trade facilities in Cochin which are available in other ports, subject to the logistical conditions prevailing in Cochin Port.

(कार्रवाई Action: सीएसएए CSAA)

हैंडलिंग के दौरान नुकसान पहुं चने वाले कंटेनरों की ऑन-बोर्ड मरम्मत के लिए किसकी अनुमित लेनी चाहिए इससे संबंधित सीएसएए द्वारा उठाए गए एक विशेष प्रश्न का जवाब देते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि छोटे-मोटे मरम्मत के काम विभाग की अनुमित से और निवारक अधिकारियों के अधीक्षण में ऑन-बोर्ड करवा सकते हैं; बड़ी मरम्मतों के लिए कंटेनरों को विभाग की अनुमित से किसी सीएफएस में लाना चाहिए।

To a specific query raised by CSAA regarding from whom the permission should be obtained for carrying out some repair work on board of the import containers which got damaged during handling, the Chair informed that small repair works might be carried out on board with the permission of the department and under the supervision of Preventive officers; for major repairs, the containers, with the permission of the department should be brought to some CFS.

अध्यक्ष महोदय ने व्यापार जगत से अनुरोध किया कि निर्यात कंटेनरों की स्टिफंग के मामले में 01 सितंबर से होने वाले परिवर्तन के लिए तैयार रहें क्योंकि इसके बाद स्टिफंग पर्यवेक्षण नहीं किया जाएगा और सेल्फ- स्टिफंग एवं सीलिंग रहेगी। कंटेनरों की मूवमेंट रेडियो ट्रेकिंग उपकरण द्वारा ट्रेस की जाएगी। उन्होंने व्यापार जगत के जीएसटी से संबंधित मुद्दों को सुलझाने/प्रश्नों का जवाब देने के लिए बनाए गए 'एक्सपर्ट ग्रुप' के बारे में सूचित किया जिससे ई-मेल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

The Chair requested the trade to be prepared for the change to be implemented from the 1st of September in the stuffing of the export containers as stuffing supervision would no longer be there but only self—stuffing and sealing. The container movement would be traced and verified via Radio Frequency Device. He informed that a Trade Facility notice has been issued in this regard. He also informed about the "Expert Group" formed to solve the issues/answer the queries of the Trade in respect of GST which can be accessed via e-mail.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हु ए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें।

किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks and with a request to all to be ready for GST. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao) प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II तारीख Dated 31.07.2017.

//अन्प्रमाणित Attested//

(विजयन पिल्लै Vijayan Pillai) सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तृत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to: Additional Commissioner All D.Cs & A.Cs All members